



2026: AHC : 46329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7023 वर्ष 2026

विवेक सिंह (दत्तक)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरविंद कुमार सिंह, सुबोध पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), देवेश पांडेय, प्रवीणेंद्र बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

(i) वाद संख्या 1844 वर्ष 2023 (विवेक सिंह बनाम राजेश सिंह एवं अन्य) में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.12.2025 के स्वरूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, साथ ही अपील संख्या 05369 वर्ष 2019 (T201902030205369) (राजेश सिंह एवं अन्य बनाम जानेंद्र वीर सिंह एवं अन्य) में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.10.2023 के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाएँ। (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 13 और 16)

2. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से मामले को प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील फूलपुर, प्रयागराज के समक्ष वापस (रिमांड) भेज दिया गया था।

3. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना केवल इस सीमा तक सीमित रखी कि प्रतिवादी संख्या 4 को वाद संख्या 1844 वर्ष 2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 202302000001844) (विवेक सिंह बनाम राजेश सिंह एवं अन्य) में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में मामले में उचित आदेश शीघ्रता से पारित करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील फूलपुर, प्रयागराज को वाद संख्या T201902030205369 को कानून के अनुसार सख्ती से और अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

27 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।